पत्र सं0—स्था0—1—अ0सं0अधि0 पदोन्नति/2023—24/ 3483 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक: 21 दिसम्बर 2023

—::आदेश::—

उ0प्र0 सरकार के कार्मिक अनुभाग—1 से जारी अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या—13(10)2004/का—1—2012 दिनांक—07.12.2012 से निर्गत उ0प्र0 सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली,2012 के नियमों के अन्तर्गत तथा उ0प्र0 बिक्री कर सांख्यिकीय सेवा नियमावली 1991 के नियम 17(1) के उपबंधों के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पदों पर वेतन बैण्ड—2(9300—34800 के सादृश्य ग्रेड वेतन 4600/—) पर पदोन्नति करते हुए उनके पूर्व कार्य स्थलों पर तैनात किया जाता है।

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	पूर्व पद / कार्यस्थल	पदोन्नति के उपरान्त वर्तमान पद / कार्यस्थल
1	2	3	4	5	6
1	152	श्री अभय सिंह	08-08-1986	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, मुख्यालय	अपर सांख्यिकीय अधिकारी, मुख्यालय
2	153	श्री अमित पाण्डेय	03-06-1987	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर	अपर सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर

1— सम्बन्धित जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत किये गये अधिकारियों को पदोन्नति के पद पर प्रत्येक दशा में दिनांक— 28.12.2023 तक कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

2— सम्बन्धित जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत किये गये अधिकारियों में यदि किन्ही कारणों से कोई अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो तो इस सम्बन्ध में अपना लिखित अनुरोध पत्र जोनल अपर आयुक्त के माध्यम से प्रत्येक दशा में 29.12.2023 तक मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3— सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ जोनल अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों में से यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है अथवा प्रस्तावित है/सतर्कता जांच/ई0ओ0डब्लू जांच आदि चल रही हो/वर्ष 2023—24 में प्रतिकूल प्रविष्टि आदि प्रदान की गई हो अथवा सत्यनिष्ठा संदिग्ध की गई हो/वर्ष 2023—24 में दण्डादेश निर्गत किया गया हो तो ऐसे अधिकारियों पर यह पदोन्नति आदेश लागू नहीं होगा और सम्बन्धित अधिकारी पर यह आदेश क्रियान्वित न कराया जाय, अपितु इसकी सूचना अ0शा0 पत्र के माध्यम से तत्काल मुख्यालय उपलब्ध करायी जाये।

4— वर्तमान समय में यदि कोई अधिकारी स्तम्भ—05 में दर्शित कार्यालय/ स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यालय/स्थान पर कार्यरत हो तो उसकी वर्तमान तैनाती स्थान तद्नुसार संशोधित माना जाये तथा सम्बन्धित सम्भागीय अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारी को उक्त आदेश की प्रति तुरन्त तामील कराना सुनिश्चित करें।

5— सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर अपने जोन के अन्तर्गत पदोन्नत किये गये अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक—29.12.2023 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह/—
(रिया केजरीवाल)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

D.C.(I.T.)
22/12/2023
9854

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2 सम्बन्धित अपर आयुक्त ग्रेड–1 राज्य कर, उ0प्र0।
3 संयुक्त निदेशक(संख्या) राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4 सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6 संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय को वेब–साइट पर डालने हेतु।
7 सम्बन्धित अधिकारी को नाम से।
8 सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त(स्थापना), राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

12-ई0/16
3483